उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1969

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 09, 1969)

THE UTTAR PRADESH OFFICIAL LANGUAGE (SUPPLEMENTARY PROVISIONS) ACT, 1969

[U.P. Act No. IX of 1969]

उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1969[1]

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 09, 1969]

[उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 12 अगस्त, 1969 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 30 अगस्त, 1969 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।]

["भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 11 सितम्बर, 1969 ई० को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 15 सितम्बर, 1969 ई० को प्रकाशित हुआ।]

मूल रूप से अंग्रजी में पारित कतिपय विधियों का प्रमाणित हिन्दी पाठ प्रकाशित करने की व्यवस्था करने के लिए, और उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 ई० का संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :––

संक्षिप्त नाम

1–यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1969 कहलायेगा ।

अधिनियमों, नियमों आदि का प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद

2–राज्यपाल के प्राधिकार के अधीन निम्नलिखित, अर्थात :––

(क) मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में पारित उत्तर प्रदेश के किसी अधिनियम का, या

(ख) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन यूनाइटेड प्राविंसेज या उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा अंग्रेजी भाषा में जारी किए गए किसी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि का,

गजट में हिन्दी भाषा में प्रकाशित अनुवाद हिन्दी भाषा में उसका प्रामाणिक पाठ समझा जायेगा ।

धारा 2 का संशोधन

3–उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम, 1951 ई० की धारा 2 में शब्द "इस अधिनियम के लागू होने के एक वर्ष के भीतर" निकाल दिए जाएं और अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खंड जोड़ दिया जाय, अर्थात् :––

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 26, 1951

"प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार, एतदर्थ साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा, राज्य के किसी राजकीय प्रयोजन के लिए भारतीय अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय रूप के प्रयोग की अनुज्ञा दे सकेगी ।"

---

1. उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 23 जुलाई, 1969 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

निरसन तथा अपवाद

4–(1) उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अधिनियम, 1968 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 10, 1968

उ0प्र0 अध्यादेश संख्या 01, 1968

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अधिनियम के अथवा उत्तर प्रदेश राजभाषा (अनुपूरक उपबन्ध) अध्यादेश, 1968 के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन किया गया कार्य या की गयी कार्यवाही समझी जायगी, मानो यह अधिनियम 25 जनवरी, 1968 को प्रारम्भ हुआ हो ।